न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय, सीकर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव (आर.ए.एस)

दावा संख्या 75/2014

1. शिवभगवान पुत्र महादेव (मृत)
1/1. श्रीमति मधु गुर्जर पत्नी स्व0 शिवभगवान
1/2. शंकर गुर्जर उम्र 18 वर्ष पुत्र स्व0 शिवभगवान
1/3. कु. कृष्णा गुर्जर उम्र 16 वर्ष पुत्री शिवभगवान
1/4. दिनेश गुर्जर उम्र 14 वर्ष पुत्र स्व0 शिवभगवान अवयस्क संरक्षिका माता श्रीमति मधु गुर्जर निवावसीगण सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर
2. गुलाबीदेवी पत्नी महादेव जाति गुर्जर निवासीनी सिहोट छोटी तहसील सीकर वर्तमान तहसील धोद जिला सीकर (हजफ)

– वादीगण–

बनाम

1. महादेव पुत्र सुरजा
2. सत्यनारायण उर्फ सीताराम पुत्र महादेव
समस्त जाति गुर्जर निवासीगण सिहोट छोटी तहसील सीकर वर्तमान तहसील धोद जिला सीकर
4. उप पंजियक अधिकारी धोद जिला सीकर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोद जिला सीकर

– प्रतिवादीगण –

दावा उद्घोषणा, बंटवारा व राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अं0 धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू0रा0 अ0

उपस्थित वकील वादी – श्री योगेन्द्र शर्मा
वकील प्रतिवादी – श्री बनवारी लाल शर्मा

निर्णय

दिनांक – 30.10.2019

वकील वादीगण श्री योगेन्द्र शर्मा ने एक दावा प्रस्तुत किया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम सिहोट छोटी तहसील धोद, जिला सीकर

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

की तन में आराजी खसरा नम्बर 69,389,527,528,537 की कृषि भूमियां अवस्थित है। जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैत्रिक कृषि भूमियां है। एनसेस्टल कृषि सम्पदा होने से वादीगण का इसमें हक हिस्सा कब्जा व मालिकाना हक है। इनमें से भूमि खसरा नम्बर 389 रकबा 0.26 है0 को बाड़े के रूप में उपयोग लिया जाता है जिसका 1/2 हिस्सा वादीगण के कब्जे में होकर मकानात आदि बने हुऐ है शेष 1/2 हिस्सा खाली है जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जे में है। शेष खसरा नम्बर एक खेत के रूप में है जिनमें पूर्वी ओर ख0 नं0 527 अवस्थित है व 528 तथा 537 पश्चिमी दिशा की ओर है जिनके उत्तर की ओर मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क के उत्तरी ओर ख. नं. 69 अवस्थित है। एक ही खेत होने के कारण इनके मध्य बीचों बीच आवागमन हेतु रास्ता रखकर सींव नींव कायम की हुई है जिसमें ख. नं. 537 व 528 के पश्चिमी भूमि पर वादीगण काबिज काश्त खातेदार है जबकि ख. नं. 527 पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज खातेदार काश्तकार हैं। उपरोक्त बंटवारा काफी लम्बे समय से चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 इन आराजियात को अपने नाम होने की वजह से विक्रय, बंधक करने की धमकी देने लगा है तथा वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। उक्त आराजियात में अब शामिल में काश्त करना सम्भव नहीं रह गया है। अतः वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर दावा डिक्री फरमाया जावे। बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जावे। प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे किसी प्रकार से दखलदांजी नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी सं0 3 व 4 बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उपस्थित आकर जवाब पेश कर कथन किया कि खसरा नम्बर 69,389,528,537 की कृषि भूमियां अवस्थित होना स्वीकार है खसरा नम्बर 527 जरिये विनिमय पत्र हो गया उक्त कृषि भूमि पेतृक नहीं है। जब इसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से हुई उस वक्त वादी संख्या 1 का जन्म ही नहीं हुआ था। प्रतिवादी संख्या 1 ही खातेदार काश्तकार है व उसका ही कब्जा काश्त है इसके अलावा किसी का कब्जा काश्त नहीं है ना ही उसने कभी बंटवारा किया है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की कोई सेवा नहीं करते ना ही दवाई पानी आदि की व्यवस्था करते हैं। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 को घर से बेदखल कर देने के कारण मंदिर में पूजा अर्चना करता है तथा अपना जीवन यापन कर रहा है। वादीगण भूमि को हड़पना चाहते हैं। अतःदावा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में दिनांक 3.5.17 को निर्णय कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई । जिकी पालना में तहसीलदार द्वारा दिनांक 23.10.17 को विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये। जिस पर आपत्ति के कारण तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

गये। जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा जरिये पत्र क्रमांक भू0अ0/1158 दिनांक 26.4.2018 द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये।

प्रकरण में बहस वकील उभय पक्ष सूनी गई । वकील प्रतिवादी ने विभाजन प्रस्ताव दिनांक 26.4.2018 के अनुसार निर्णय कर वादीगण को उसके हिस्से की भूमि दिये जाने में अपनी सहमति प्रदान की । वकील वादी ने बहस में विभाजन प्रस्ताव पर पुनः आपत्ति करते हुऐ तर्क किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट में तारीख का विरोधाभास है जो संदेहास्पद है। 2008 में बाहमी बंटवारा होकर 1/2 हिस्सा दे दिया था। 1/3 हिस्से की भूमि लेने को तैयार है परन्तु पिता अपने जीवनकाल में भूमि को बेचे नहीं। रिपीटल में वकील प्रतिवादी ने तर्क किया कि अनुतोष 1/3 के बजाय 1/2 का है। महादेव को बेचने से नहीं रोका जावे। उद्घोषणा के दावे में बेचान करने से नहीं रोक सकते हैं। दावे से हटकर सहायता नहीं दी जा सकती है।

हमने पत्रावली का, विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार धोद एवं उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का बगौर अवलोकन किया। बहस के तर्कों पर मनन किया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2073–76 के अनुसार ग्राम सिहोट छोटी तहसील धोद की भूमि खसरा नम्बर 69,389,528, 537, 1002/527 की खातेदार महादेव पुत्र सुरजा जाति गुर्जर सा. देह के नाम दर्ज है। वादी ने 1/2 हिस्से की खातेदारी उक्त भूमियों में से विरासतन चाही है। जबकि उसका अधिकार पिता के जीवित रहते हुऐ 1/3 हिस्से पर ही बनता है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को इनके 1/3 हिस्से के अनुसार भूमि दिये जाने पर अपनी सहमती जताई है। तहसीलदार द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया है वह सभी पक्षों को पूर्णतया सुनवाई का अवसर दिया जाकर अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी के सिद्वान्त पर रास्तों आदि का ध्यान रखते हुऐ प्रस्ताव भिजवाया गया है जिस पर किसी पक्षकार ने आपत्ति नहीं जताई है। किसी भी खातेदार को भूमि का विक्रय करने, रहन रखने का तथा अपने हिस्से की भूमि का उपयोग –उपभोग करने से बिना किसी उचित कारण से नहीं रोका जा सकता है । वादीगण को उसके हिस्से से अधिक भूमि नहीं दी जा सकती है । वकील वादी के आपत्ति तर्को का निरस्त किया जाता है।

आज्ञा

अतः वाद में तहसीलदार धोद के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू0अ0/2018/1158 दिनांक 26.4.2018 के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री दी जाती है –

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा
1	महादेव पुत्र सुरजाराम जाति गुर्जर सा. देह	537 मी. 537 मी. 69 मी. 1004/526 ———— किता–4	0.86 है0 0.84 है0 0.02 है0 0.15 है0 ———— 1.87 है0
2	श्रीमती मधुदेवी ध.प. शिवभगवान, कृष्णा कुमारी पुत्री शिवभगवान, शेकर, दिनेश कुमार पि0 शिवभगवान जाति गुर्जर सा. देह	389 मी. उत्तरी पाखो 69 मी. पश्चिमी पाखो 528 मी. 537 मी. ———— किता –4	0.13 है0 0.02 है0 1.37 है0 0.36 है0 ———— 1.88 है0
3	सत्यनारायण पुत्र महादेव जाति गुर्जर सा. देह	389 मी. दक्षिण पाखो 69 मी. पूर्वी पाखो 528 मी. 1002/527 ———— किता –4	0.13 है0 0.02 है0 0.31 है0 1.42 है0 ———— 1.88 है0
4	महादेव पुत्र सुरजा 1/3 हि0, श्रीमति मधुदेवी ध.प. स्व0 शिवभगवान, शंकर, दिनेश पि0 शिवभगवान, कृष्णाकुमारी पुत्री शिवभगवान हि0 1/3, सत्यनारायण पुत्र महोदव हि0 1/3	528 मी. रास्ता प्रयोजनार्थ 537 मी. रास्ता प्रयोजनार्थ ———— किता–2	0.05 है0 0.06 है0 ———— 0.11 है0

तहसीलदार इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस के अनुसार तरमीम की जावे। नक्शा ट्रेस डिक्री की भाग रहेगा। डिक्री जारी हो।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

निर्णय आज दिनांक 30.10.19 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर